R. No. 35646/79
Regd. No. MH/By-South/Tech/47-290/MBI/2003-05
Licence No. 24 - Licensed to post without prepayment. Posted at Byculla Sorting Post Office

क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

293
दिसंबर
2003

वर्ष 2003 की महत्त्वपूर्ण वित्तीय गतिविधियाँ

जनवरी

- वाणिज्य बैंकों को सूचित किया गया है कि वे न्यूनतम शेष राशि की अपेक्षा के बारे में ग्राहकों को खाता खोलते समय स्पष्ट रूप से बतायें।
- बैंकों को सूचित किया गया है कि वे 25,000 रुपये तक के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋणों पर सेवा प्रभार/निरीक्षण प्रभार न लगायें।
- बैंकों को राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जारी अनुदानों/उपदान राशियों के संदर्भ में सरकारी विभागों/निकायों/एजेंसियों के नाम बचत बैंक खाते खोलने की अनुमति दी गयी।
- ऋणकर्ताओं को अपनी देय बकाया राशियों के निपटान के लिए आगे आने का एक और अवसर प्रदान किया जा सके, इस दृष्टि से रिज़र्व बैंक ने बहुत पुरानी अनर्जक आस्तियों के समझौते द्वारा निपटान के लिए नये दिशा-निर्देश जारी किये। ये दिशा-निर्देश 10 करोड़ रुपये के निर्धारित मूल्य की उच्चतम सीमा से कम की बहुत पुरानी अनर्जक आस्तियों के समझौते द्वारा निपटान के लिए सरल, गैर विवेकपूर्ण और भेद भाव से परे तंत्र प्रदान करते है।
- रिज़र्व बैंक ने त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई योजना को प्रारंभ में एक वर्ष के लिए अमल में लाने का निर्णय लिया है। बैंकों को सूचित किया गया कि वे इस योजना को अपने निदेशक-बोर्ड के समक्ष रखें और ऐसे आवश्यक कदम उठाएं जिससे यह सुनिश्चित हो कि उनका बैंक पीसीए रूपरेखा के भीतर नहीं आए।
- सूखे से प्रभावी राज्यों के किसानों की कठिनाइयां और कम करने के लिए एक बारगी उपाय के रूप में खरीफ ऋणों की पहले वर्ष की ब्याज की आस्थागित देयता पर छूट दी गयी।
- शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया है कि बाहरी व्यक्तियों द्वारा स्वयं या बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से की गई बैंक धोखाधड़ी तथा स्वयं बैंक अधिकारियों द्वारा की गई बैंक धोखाधड़ी के मामलों की सूचना, अनिवार्य रूप से जांच एजेंसियों को दें। जहां यह निष्कर्ष निकाल लिया गया हो कि धोखाधड़ी की गयी है, यथोचित न्यायालय में आपराधिक मामले दायर किए जाने चाहिए।
- शहरी सहकारी बैंकों की अपने निदेशकों, उनके रिश्तेदारों और उन संस्थाओं को जिनमें उनका हित निहित है, दिये जाने वाले ऋणों/अग्रिमों/अन्य वित्तीय सहायता की समग्र उच्चतम सीमा को कुल मांग व मीयादी देयताओं के 5 प्रतिशत तक लाया गया है। पहले की अधिकतम सीमा मांग व मीयादी देयताओं के 10 प्रतिशत थी।
- शहरी सहकारी बैंकों को इस बात की अनुमति दी गयी कि वे अपने निदेशक बोर्ड के पूर्वानुमोदन से यथोचित सेवा प्रभार निर्धारित करें।
- बाह्य वाणिज्यिक उधार जुटाने वाली कंपनियों को इसकी अनुमति दी गयी कि वे भविष्य की अपनी विदेशी मुद्रा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निधियां विदेश के बैंक खाते में बनाये रख सकते हैं।
- अनिवासी भारतीय/भारतीय मूल के व्यक्तियों को इस बात की अनुमति दी गयी कि वे अपने अनिवासी सामान्य खातों/आस्तियों की बिक्री आय में बनाये रखे निधियों से एक मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रत्यावर्तित कर सकते हैं।
- भारतीय कंपनियों को इसकी अनुमति दी गयी कि वे भविष्य की अपनी विदेशी मुद्रा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एडीआर/जीडीआर के माध्यम से बनवायी गयी निधियां कितनी भी अवधि के लिए विदेश में बनाये रख सकते हैं।
- जिन भारतीय कंपनियों ने विदेश में कार्यालय खोले हैं, वे अब रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति से अपने कारोबार के लिए साथ ही स्टाफ के आवास के लिए भारत के बाहर अचल संपत्ति की खरीद कर सकती हैं।
- निवासी व्यक्तियों को कतिपय मानदंडों के अधीन विदेश में पंजीकृत कंपनियों की ईक्विटी में निवेश की अनुमति दी गयी।
- सेवाओं के आयात के लिए अग्रिम प्रेषण की सीमा को 25000 अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 100,000 अमेरिकी डॉलर अथवा उसके समतुल्य किया गया। प्राधिकृत व्यापारियों को सूचित किया गया कि वे 100,000 अमेरिकी डॉलर तक सभी स्वीकार्य चालू खाता लेनदेनों के लिए रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना अग्रिम प्रेषण की अनुमति दें।
- बैंकों को वास्तविक वाणिज्य बिलों की खरीद/बट्टे पर/बातचीत/पुनर्भुनाई के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किये गये।

फरवरी

- रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार से परामर्श करके बैंकों तथा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा मूलभूत सुविधा परियोजनाओं के वित्तपोषण के संबंध में दिशा-निर्देश संशोधित किये।
- निर्यातकों को पीसीएफसी/ईबीआर के लिए विदेशी मुद्रा निधि के स्रोत उपलब्ध कराने में बैंकों को और सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से रिज़र्व बैंक ने बैंकों को उधार ली गई विदेशी मुद्रा निधियों का उपयोग करने की अनुमति दी ।
- वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति ब्याज का प्रवर्तन अधिनियम 2002 पर अंतिम दिशानिर्देश जारी किये गये। ये दिशानिर्देश/निदेश पंजीकरण, स्वाधिकृत निधि, स्वीकार्य कारोबार परिचालनगत संरचना, अतिरिक्त निधियों का वितरण, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण कंपनियों के लिए विवेकपूर्ण मानदंड और प्रकटीकरण आवश्यकताओं से संबंधित होंगे।
- बैंकों को सूचित किया गया कि वे समेकित पर्यवेक्षण आसान बनाने के लिए समेकित लेखाकरण और अन्य मात्रात्मक प्रणालियों पर संशोधित दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन करें।
- बैंकों को सूचित किया गया कि आंतर-शाखा लेखा में निवल नामे शेष पर प्रावधानन के लिए उन्हें अनुमत समयावधि 3 मार्च 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष से, एक वर्ष से कम करके छह महीने कर दी गयी।

मार्च

- देशी और सामान्य अनिवासी बचत जमाराशियों तथा अनिवासी (बाह्य) खाता योजना के अंतर्गत आनेवाली बचत जमाराशियों की ब्याज दर में पहली मार्च 2003 से 0.5 प्रतिशत अंक की कमी करके उसे 4.0 प्रतिशत से 3.5 प्रतिशत प्रति वर्ष कर दिया गया है।
- चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिपो की दर में 3 मार्च 2003 से 0.5 प्रतिशत अंक की कमी करके उसे 5.5 प्रतिशत से 5.0 प्रतिशत कर दिया गया है।
- गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा जनता की जमाराशियों पर दिये जाने वाले अधिकतम ब्याज दर में संशोधन कर के उसे 12.5 प्रतिशत से कम करके 11 प्रतिशत प्रतिवर्ष किया गया है। 4 मार्च 2002 से प्रभावी नयी दरें केवल नयी जमाराशियों पर और मौजूदा जमाराशियों पर लागू होंगी।
- स्वचलित मार्ग के अंतर्गत विदेशी संयुक्त उद्यमों अथवा पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनियों में 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक निवेश करने की अनुमति अब सिद्ध ट्रैक रिकार्ड वाली भारतीय कंपनियों को भी होगी भले ही वहां निवेश उसी मुख्य गतिविधि में न हो जिसमें वे लगी हुई हैं।
- स्वचलित मार्ग के अंतर्गत बाह्य वाणिज्यिक उधारों की समयपूर्व अदायगी की सीमा के अनुमत की गयी। इससे पूर्व की 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की उच्चतम सीमा हटायी गयी।
- प्राधिकृत व्यापारियों को अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार कॉन्फरेन्स, सम्मेलन आदि के आयोजकों के लिए अस्थायी विदेशी मुद्रा खाते खोलने की अनुमति के प्राधिकार दिये गये।
- रेपो लेनदेनों के एकसमान लेखाकरण के लिए दिशानिर्देश जारी किये गये।

अप्रैल

- बैंकों को अन्य बैंकों, वित्तीय संस्थाओं तथा ऋण देनेवाली एजेंसियों द्वारा दिए गए ऋणों के लिए उनके पक्ष में गारंटी जारी करने की अनुमति दी गयी लेकिन इसके लिए उन्हें कतिपय शर्तों का पालन करना पडेगा।
- अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों द्वारा उनके जमाकर्ताओं को देय प्रतिफल की न्यूनतम दर पहली अप्रैल 2003 से संशोधित करके दैनिक जमाराशियों पर 3.5 प्रतिशत और अन्य जमाराशियों पर 5.0 प्रतिशत कर दी गयी।
- शहरी सहकारी बैंकों को रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना अपनी अलाभकारी शाखाओं/विस्तार पटलों को बंद करने की अनुमति दी गयी इस तरह से शाखाएं बंद करने की अनुमति कतिपय शर्तों पर दी जायेगी।
- शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि वे तत्काल प्रभाव से समवर्ती लेखा परीक्षा का प्रारंभ करें।
- बैंकों को भारतीय संयुक्त उद्यमों/विदेश में पूर्णत:स्वामित्व वाली सहायक संस्थाओं को ऋण/गैर ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए अधिकतम सीमा को संशोधित करते हुए उसे (टियर I और टियर II की पूंजी के) 10 प्रतिशत तक करने की अनुमति दी गयी।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सूचित किया गया कि वे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को अपने बकाया अग्रिमों के पहले के 40 प्रतिशत के लक्ष्य के बजाय 60 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त करें। साथ ही, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उसके अग्रिमों का न्यूनतम 25 प्रतिशत (अर्थात कुल बकाया अग्रिमों के 15 प्रतिशत) समाज के कमज़ोर वर्गों को दिया जाए।
- विशेष आर्थिक क्षेत्रों की इकाइयों को कतिपय शर्तों के अधीन विदेश में जॉब वर्क लेने और देश से वस्तुएं निर्यात करने की अनुमति दी गयी।
- प्राधिकृत व्यापारी/राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा अनुमोदित भारत की आवास वित्त संस्थाओं को इस बात की अनुमति दी गयी कि भारत में खुद के आवास की मरम्मत/नवीकरण/सुधार करने के लिए अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों को ऋण मंजूर करें।
- दीर्घावधि के लिए निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को इस बात की अनुमति दी गयी कि वे भारत में स्थित बैंकों के साथ वायदा बिक्री करार करके भारत के उनके विदेशी निवेश, लंबित निवेश का बचाव कर सकते हैं।
- अनिवासी भारतीयों/विदेशी कंपनी निकायों को अपने एफसीएनआर(बी) खातों में रखे शेषों के बचाव के लिए क्रास करेन्सी वायदा करार बुक करने की अनुमति दी गयी। अलबत्ता एक बार रद्द करार पुन: बुक नहीं किये जा सकते।
- कृषि के लिए प्राथमिकता क्षेत्र उधार के अंतर्गत ड्रीप सिंचाई/स्प्रिंक्लर सिचाई प्रणाली/कृषि संबंधी मशीनरी के व्यापारी अग्रिमों के लिए पात्र हैं।
- बैंकों को प्राथमिकता क्षेत्र उधार के एक भाग के रूप में ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में आवास क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपये तक सीधे वित्तपोषण करने की अनुमति दी गयी।
- शहरी सहकारी बैंकों को उनके निदेशकों, उनके रिश्तेदारों और फर्मों/संस्थाओं/ कंपनियों को ऋण और अग्रिम (रक्षित और अनरक्षित) देने से प्रतिबंध किया गया जहाँ उनका हित निहित है। शहरी सहकारी बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि वे 29 अप्रैल 2003 से पूर्व इस तरह मंजूर अग्रिम नवीकृत न करें या उनकी अवधि और न बढ़ायें।

मई

- बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को सूचित किया गया कि वे रिज़र्व बैंक के विस्तृत दिशानिर्देश अपनायें और ऋण आवेदनपत्र और उन पर प्रक्रिया, ऋण मूल्यांकन और शर्तें, ऋणों का वितरण, वितरण के बाद की प्रक्रिया और पर्यवेक्षण आदि के लिए उचित प्रणाली संहिता निर्धारित करें।
- शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि उनके द्वारा ड्रिप सिंचाई/स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली/कृषि मशीनरी के डीलरों को दिये जाने वाले 20 लाख रुपये तक के अग्रिम प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार के एक भाग के रूप में कृषि को अप्रत्यक्ष वित्त के अंतर्गत वर्गीकृत किये जायेंगे।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रायोजक बैंकों को सूचित किया गया कि वे अपने खजाना लेनदेन आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा समवर्ती लेखा-परीक्षा के अधीन करें और लेखा परीक्षा रिपोर्टों के परिणाम महीने में एक बार अपने मुख्य कार्यपालकों के समक्ष रखें।
- शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि वे अपनी तुलनपत्र जानकारी में निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम को बीमा प्रीमियमों के भुगतान के संबंध में सूचना प्रकट करें।

वर्ष 2003-04 के लिए मौद्रिक और ऋण नीति

- मुद्रास्फीति की स्थिति, सूखे के बावजूद 2002-2003 के दौरान चौथी तिमाही को छोड़ कर औसत आधार पर नीची बनी रही।
- रिज़र्व बैंक की विदेशी मुद्रा आस्तियों में तीव्र वृद्धि के बावजूद प्रारक्षित मुद्रा में कम वृद्धि।
- 2002-03 के दौरान मुद्रा आपूर्ति (एम) लक्षित सीमाओं की भीतर बनी रही।
- 2002-03 के दौरान ऋण आपूर्ति में लगातार वृद्धि।
- बैंकों की ब्याज दरों में तथा सरकारी तथा कार्पोरेट विलेखों में ब्याज दरों में तीव्र गिरावट।
- सरकारी उधार कार्यक्रम को लंबी अवधि के लिये नीची ब्याज दर लागत पर पूरा किया गया। कार्पोरेट विलेखों पर ब्याज दरों अब तक के सब से कम स्तर पर।
- बाह्य ऋणों को जोड़े बिना अल्प प्रभावी लागत पर प्रारक्षित निधियों का भंडार तैयार हुआ।
- नरम तथा लचीले ब्याज दर परिवेश के प्रति झुकाव जारी रहेगा।
- बैंक दर में 0.25 प्रतिशत की कमी की गयी।
- सीआरआर में 0.25 प्रतिशत पाइंट की कमी की गयी।
- निर्यात ऋण पुनर्वित्त सुविधा जारी रहेगी।
- बैक-स्टॉप सुविधा पर ब्याज दर घटायी गयी।
- बैंकों की प्रमुख ब्याज दर (पीएलआर) तय करने के लिए पारदर्शी प्रणाली।
- प्रत्यावर्तनीय विदेशी मुद्रा और साथ ही साथ रुपया अनिवासी जमाराशियों के अवधि समाप्ति ढांचे में एकरूपता।
- विदेशी निवेशों को उदार बनाया गया और एफडीआइ के आगमनों के लिए विदेशी निवेशकों को लचीलेपन की अनुमति।
- प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण प्रदान करने के तंत्र में सुधार के लिए और उपाय।
- संयुक्त संसदीय समिति की सिफ़ारिशों के अनुरूप शहरी सहकारी बैंकों के लिए विवेकशील उपायों में परिवर्तन।

- एक समयी समायोजन योजना (ओटीसी) के अंतर्गत 10 करोड़ रुपये तक के ऋणों के समझौता समायोजनों के लिए उधारकर्ताओं से आवेदनपत्र प्राप्त करने की समय सीमा को 30 अप्रैल 2003 से बढ़ा कर 30 सितंबर 2003 कर दिया। वह आखिरी तारीख, जिस तक बैंक आवेदनपत्रों की प्रोसेसिंग कर सकते हैं, भी 31 अक्तूबर 2003 से बढ़ा कर 31 दिसंबर 2003 कर दी गयी।
- भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी के पास या विदेश में बैंक में विदेशी मुद्रा खाता रखने वाले निवासी व्यक्तियों को विदेशी बैंकों और अन्य ख्याति प्राप्त एजेंसियों द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड लेने की अनुमति दी गयी।
- निर्यातकों को विदेश में वेयरहाउस खोलने/किराए पर लेने की अनुमति दी गयी।

जून

- रिज़र्व बैंक ने मुद्रा अंतरण सेवा योजना (मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम)(एमटीएसएस) के लिए दिशानिर्देश जारी किये। एमटीएसएस विदेशों से भारत में हिताधिकारियों को निजी प्रेषण भेजने के लिए तेज और आसान तरीका है।
- आयात के लिए क्रियाविधियों को उदार और आसान बनाने की दृष्टि से, रिज़र्व बैंक ने सामान, कारोबारी ट्रेड और करेंसी के आयात के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किये।
- अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा कुल मांग और मीयादी देयताओं पर बनाये रखा जानेवाला आरक्षित नकदी निधि अनुपात 14 जून 2003 से 0.25 प्रतिशत अंक कम करके 4.75 प्रतिशत से 4.50 प्रतिशत कर दिया गया।
- अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा 29 अप्रैल 2003 को कारोबार की समाप्ति से आरक्षित नकदी निधि अनुपात के अनुरक्षण में कमी की राशि पर प्रभारित दंडात्मक ब्याज संशोधित किया गया। संशोधित दण्डात्मक ब्याज दर कमी की अवधि पर निर्भर करते हुए बैंक दर अधिक 3 प्रतिशत पाइंट अर्थात् (9.00 प्रतिशत) या बैंक दर अधिक 5 प्रतिशत पाइंट अर्थात् (11.00 प्रतिशत) होगा।
- देशी टैरिफ क्षेत्रों (डोमेस्टिक टैरिफ एरियाज़) की इकाइयों को इस बात की अनुमति दी गयी कि वे विशेष आर्थिक क्षेत्रों (स्पेशल इकॉनॉमिक जोन्स) द्वारा उनके द्वारा आपूर्ति की जानेवाली सामग्री के लिए भुगतान करने हेतु प्राधिकृत व्यापारियों से विदेशी मुद्रा खरीद सकते हैं।
- प्राधिकृत व्यापारियों को इसकी अनुमति दी गयी कि भारत में सामान के आयात के लिए बिना किसी बैंक गारंटी के वे 1,00,000 अमेरिकी डॉलर या उसके समकक्ष की अग्रिम राशि प्रेषित कर सकते हैं।
- अपर्याप्त निधियों के कारण अस्वीकृत किये जाने वाले चेकों के संबंध में बैंकों को अतिरिक्त अनुदेश दिये गये। बैंकों को सूचित किया गया कि बार-बार अस्वीकृत किये जाने वाले चेकों के संबंध में कड़ा रूख अपनायें, साथ ही एक करोड़ रुपये और उससे अधिक के सभी अस्वीकृत चेकों का एक डेटाबेस तैयार करे जो उनकी प्रबंध सूचना प्रणाली का एक हिस्सा बने।

वर्ष 2003-04 के लिए मौद्रिक तथा ऋण नीति की मध्यावधि समीक्षा

- वर्ष 2003-04 में घरेलू सकल उत्पाद वृद्धि 6.5-7.0 प्रतिशत पर आंकी गयी ।
- नीति के लिए मुद्रास्फीति 4.0 - 4.5 प्रतिशत रहने का अनुमान ।
- मुद्रा आपूर्ति (M^3) अप्रैल में अनुमान किये गये लक्षित स्तर के भीतर ही रहेगी।
- रुपये में अमेरिकी डॉलर की तुलना में सुधार लेकिन यूरो, पाउंड स्टर्लिंग तथा जापानी येन की तुलना में गिरावट।
- मार्च के अंत की स्थिति की तुलना में विदेशी मुद्रा भंडारों में 17.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि हुई और वे अक्तूबर 2003 के अंत की स्थिति के अनुसार 92.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गये और वे इस समय बेहद मज़बूत स्थिति में है।
- 5.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रिसर्जंट इंडिया बॉंड्स वित्तीय बाज़ार तथा भंडारों पर कोई प्रतिकूल असर डाले बिना चुकाये गये।
- पहली छमाही में, अमेरिकी डॉलर के रूप में, निर्यातों में 10.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई और आयात वृद्धि 21.4 प्रतिशत के ऊंचे स्तर पर रही।
- बैंक दर को 6.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा गया।
- नकदी प्रारक्षित अनुपात 4.5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा गया।
- आइबीए बैंकों को बेंच-मार्क प्राइम लेंडिंग रेट के बारे में सूचित करेगा।
- कृषि तथा लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण सुपुर्दगी में सुधार के लिए उपाय।
- निर्यात आय की वसूली में तथा अतिदेय राशियों को बट्टे खाते डालने में कैलेण्डर वर्ष में निर्यातकों के निर्यात आयों के 10 प्रतिशत तक लचीलापन।
- ऋण चुकौती में असंतुलन मान्यता के लिए 90 दिन का मानदण्ड अपनाने के लिए वित्तीय संस्थाओं के लिए सुगम मार्ग।
- आरटीजीएस प्रणाली जनवरी 2004 में शुरु करने की योजना।
- जनता की सुविधा के लिए सरकारी कारोबार करने के लिए चुनिंदा निजी क्षेत्र के बैंक प्राधिकृत किये गये।
- इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज़ (ईसीएस) के ज़रिए कर वापसी के भुगतान की शुरुआत की जायेगी।

जुलाई

- भारत में व्युत्पन्न (डेरिवेटिव) बाज़ार विकास के एक हिस्से के रूप में और निवासियों और अनिवासियों को अपनी मुद्रा जोखिम की रक्षा के लिए उपलब्ध बचाव संबंधी उत्पादों के क्षेत्र में वृद्धि हेतु रिज़र्व बैंक ने विदेशी मुद्रा - रुपया विकल्प की अनुमति देने का निर्णय लिया।
- ऐसे सभी शहरी सहकारी बैंकों को, जो एनडीएस - भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड प्रणाली के सदस्य नहीं हैं, निर्देश दिया गया कि वे सौदाकृत लेनदेन प्रणाली (एनडीएस) सदस्य के पास रखे अपने गिल्ट खाते/डीमैट खाते के माध्यम से सरकारी प्रतिभूतियों में अपने लेनदेन करें।
- बैंकों को सूचित किया गया कि नियोजन, उत्प्रवास (इमीग्रेशन), निकट संबंधियों के रखरखाव, शिक्षा तथा विदेश में चिकित्सीय उपचारों के लिए प्रत्येक कोटि में जारी की जानेवाली विदेशी मुद्रा की सीमा बढ़ाकर 100,000 अमेरिकी डॉलर कर दी गई।
- गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का नियामक ढांचा संशोधित किया गया ताकि भारत सरकार द्वारा जारी खजाना बिलों और दिनांकित प्रतिभूतियों के हाजिर वायदा करारों और राज्य सरकारों द्वारा जारी दिनांकित प्रतिभूतियों की अनुमति दी जा सके।

अगस्त

- रिज़र्व बैंक ने ग्रामीण और अर्ध शहरी केंद्रों पर एक वाणिज्य बैंक से दूसरे वाणिज्य बैंक में बैंक शाखाओं के अभिग्रहण की प्रक्रिया के संबंध में बैंकों द्वारा अपनाये जाने वाले परिचालनगत दिशा-निर्देश घोषित किये।
- रिज़र्व बैंक ने विस्तार पटल खोलने के संबंध में शहरी सहकारी बैंकों को संशोधित अनुदेश जारी किए।
- प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार के अंतर्गत कुछेक श्रेणियों के लिए उच्चतम सीमा में वृद्धि की गयी।
- बैंकों को सूचित किया कि वे देश के अंदर एटीएम मशीनों के जरिए एक ग्राहक के खाते से उसी बैंक के अन्य ग्राहक के खाते में निधि के अंतरण की अनुमति दे सकते हैं।
- अनर्जक परिसंपत्ति को वर्तमान 24 महीने के मानदंड के बजाय केवल 18 महीने की अवधि के लिए अवमानक श्रेणी में उस तारीख से वर्गीकृत किया जायेगा, जिस तारीख से उसे अनर्जक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है। उसी तरह, मौजूदा 24 महीने के मानदंड के बजाये 18 महीने के लिए परिसंपत्ति अवमानक श्रेणी में रहने के बाद उसे संदेहपूर्ण परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जायेगा।

सितम्बर

- रिज़र्व बैंक ने सरकार के परामर्श से समुद्रपारीय निगमित निकायों की भारत में वर्तमान विदेशी मुद्रा प्रबंध विनियमावली के अंतर्गत विविध मार्गों/योजनाओं के अंतर्गत पात्र निवेशक वर्ग की उपलब्ध मान्यता रद्द करने का निर्णय लिया। अनिवासी भारतीयों के स्वामित्त्व वाली विदेशी इकाइयां उन सारी सुविधाओं का लाभ उठा सकती हैं जो किसी भी विदेशी निवेशक को उपलब्ध होती हैं। इनमें विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए स्वचालित रूट भी शामिल है।

आ. एन. 35646/79 बिना पूर्वभुगतान के डाक से भेजने के लिए लाइसेंस संख्या 24 **Regd. No. TECH/47-290/MBI-2003-05**
30 तथा 31 दिसंबर 2003 को भायखला छँटनी डाक घर से प्रेषित

- वित्तीय दृष्टि से सुदृढ़ रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित कतिपय मानदंडों को पूरा करने वाले शहरी सहकारी बैंकों को जोखिम सहभागिता के बिना कॉर्पोरेट एजेंट के रूप में बीमा व्यवसाय करने की अनुमति दी गयी।
- सेबी में डिपॉज़िटरी सहभागी के रूप में पंजीकृत बैंकों को विस्तार पटल पर डिपॉजिटरी सेवाओं की सुविधा अपने ग्राहकों को देने के लिए अनुमति दी गयी।
- बैंकों को सूचित किया गया कि 15 सितम्बर 2003 को कारोबार की समाप्ति से एक से तीन वर्ष की संविदाकृत नयी प्रत्यावर्तनीय एनआरई जमाराशियों पर ब्याज दर तदनुरूपी परिपक्वता वाले यूएस डॉलर के लिए लिबोर/स्वैप दरों से ऊपर 100 आधार अंक से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- भारत से बाहर किसी विदेशी कंपनी में नियोजित तथा ऐसी विदेशी कंपनी के भारत में कार्यालय/शाखा/सहायक कंपनी/संयुक्त उद्यम में प्रतिनियुक्ति पर होने वाले भारतीय नागरिक भारत से बाहर किसी बैंक में विदेशी मुद्रा खाता खोल सकते हैं, धारित कर सकते हैं और बनाये रख सकते हैं।
- विदेशी दूतावासों के भारत स्थित गैर राजनयिक स्टाफ, जो विदेशी नागरिक हैं और जिनके पास राजकीय पारपत्र हैं, उन्हें विदेशी मुद्रा जमा खाते रखने की अनुमति दी गयी।

अक्तूबर

- आरआइडीएफ IV से VII वितरित न की गयी राशियों के संबंध में ब्याज तथा जमा दरों को बदला गया।
- स्व-रोजगार क्रेडिट कार्ड नामक नयी ऋण सुविधा शुरू की गयी। इस योजना का उद्देश्य छोटे कारीगरों, हथकरघा पर काम करनेवाले बुनकरों, सेवा क्षेत्र के कामगारों, मछुआरों, स्व-नियोजित व्यक्तियों, रिक्षा मालिकों अन्य लघु उद्यमियों आदि को पर्याप्त और समय पर ऋण उपलब्ध कराना है।
- वाणिज्य बैंकों को सूचित किया गया कि उन्हें बीमा एजेंसी का कारोबार आरंभ करने या जोखिम में भागीदार बने बिना परामर्शी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति लेने की आवश्यकता नहीं।
- रिज़र्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों द्वारा लाभांशों की घोषणा करने के लिए अपनाये जानेवाले कुछेक मानदंड निर्धारित किये।
- भारत में निवासी कोई व्यक्ति जो परियोजना/सेवा निर्यातक है, को भारत से बाहर अथवा भारत में किसी बैंक के पास विदेशी मुद्रा खाता खोलने/धारित करने और अनुरक्षित करने की अनुमति दी गयी।
- भारतीय कंपनियां - अर्थात् पंजीकृत निगमित निकाय अथवा भारत में निगमित कंपनियों को, अपने कर्मचारियों के लिए, जो अनिवासी भारतीय हैं अथवा भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, कतिपय शर्तों पर रुपये में ऋण देने के लिए सामान्य अनुमति दी गयी।
- निवासी व्यक्ति रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बिना 2,50,000 अमेरिकी डॉलर से अनधिक या उसके समकक्ष राशि भारत से बाहर रहने वाले नज़दीकी रिश्तेदारों से उधार ले सकता है।
- विदेशी दूतावास/राजनयिक/कॉन्सुलेट जनरल को भारत में कृषि भूमि/वृक्षारोपण संपत्ति/फार्म हाउस के सिवाय अचल संपत्ति खरीदने/बेचने की अनुमति कतिपय शर्तों के अधीन दी गयी।

सीआइआर
अपने पाठकों के लिए
सुखी और समृद्ध
नव वर्ष की कामना करता है

नवंबर

- बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के निजी तौर पर प्राइवेट प्लेसमेंट के ज़रिये और एसएलआर (सांविधिक चलनिधि अनुपात) निवेश पोर्टफोलियो के सामने आनेवाले जोखिमों को रोकने के लिए रिज़र्व बैंक ने बैंकों द्वारा गैर-सांविधिक चलनिधि निवेश के प्रबंधन पर दिशानिर्देश परिचालित किये। ये पहली अप्रैल 2004 से प्रभावी होंगे।
- भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों को रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बिना अपने प्रधान कार्यालय को तिमाही आधार पर अपने भारतीय परिचालन से प्राप्त सामान्य कारोबार के सिलसिले में तिमाही के दौरान अर्जित किये गये लाभ/अतिरिक्त आय (कर का निवल) भेजने की अनुमति दी गयी।
- वाणिज्य बैंकों को सूचित किया गया कि शाखाओं में पुरानी तथा कम मूल्य की समाशोधन अंतर प्रविष्टियों का समायोजन, प्रविष्टियों का प्रधान कार्यालय में अंतरण, प्रधान कार्यालय में समायोजन तथा प्रधान कार्यालय में बट्टे खाते डालना/अंतरण की एक सौ प्रतिशत लेखा परीक्षा, कम से कम निम्नलिखित में से दो, यथा-समवर्ती लेखा-परीक्षा, आंतरिक लेखा-परीक्षा तथा सांविधिक लेखा-परीक्षा के अधीन किया जाए।
- बैंकों को अब (i) उपभोग की टिकाऊ वस्तुओं को खरीदने (ii) शेयरों तथा डिबेंचरों/बांडों के बदले व्यक्तियों को ऋणों और अग्रिमों तथा (iii) कर्ज़ की मात्रा को ध्यान में न रखते हुए अन्य गैर-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के व्यक्तिगत कर्जों के लिए ब्याज दर निर्धारण की स्वतंत्रता दी गयी है।
- भारत में परिचालनरत सभी विदेशी बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार के लक्ष्य की प्राप्ति में कमी को पूरा करने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के पास उनके द्वारा जमा की गयी राशियों पर ब्याज दर बैंक दर के बराबर होगी।
- बैंकों को गरीब और निर्धन छात्रों को अधिक उधार देने के लिए प्रेरित करने के लिए रिज़र्व बैंक ने यह निर्णय लिया कि भारत में अध्ययन हेतु 7.50 लाख रुपये और विदेश में अध्ययन हेतु 15 लाख रुपये की उच्चतम सीमा तक दिये जाने वाले शैक्षिक ऋण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत माने जाएं।
- लघु उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराने में और अधिक सुधार लाने के लिए बैंकों को सूचित किया गया कि वे लघु उद्योग इकाइयों के अच्छे रिकॉर्ड और अच्छी वित्तीय स्थिति के आधार पर संपार्श्विक अपेक्षा के वितरण के लिए ऋण सीमा मौजूदा 15 लाख रुपये से बढ़ा कर 25 लाख रुपये कर सकते हैं।
- स्टॉक निवेश योजना समाप्त की गयी।
- रिज़र्व बैंक ने विदेशी इकाइयों को भारत में कतिपय शर्तों पर परियोजना कार्यालय स्थापित करने के लिए सामान्य अनुमति दी।
- शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि वे निजी क्षेत्र के उद्यमों की प्रतिभूतियां धारण करने के लिए एसजीएल/सीएसजीएल खाते के अतिरिक्त एनएसडीएल/सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज़ लिमिटेड या स्टॉक होल्डींग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सीडीएसएल के किसी बैंक निक्षेपागार के सहभागी में एक डीमैट खाता खोल सकते हैं।

दिसंबर

- समुद्रपारीय सीधे निवेश होनेवाली निवासी कंपनियों को इन निवेशों के कारण आनेवाली विदेशी मुद्रा जोखिम के बचाव (हैज) की अनुमति दी गयी।
- विदेश में पढ़ाई करने वाले भारतीय छात्र इसके बाद अनिवासी भारतीय समझे जायेंगे। अनिवासी भारतीय का दर्जा प्राप्त होने से छात्रों को अपने शैक्षिक लक्ष्य के संबंध में मिलनेवाली मौजूदा विदेशी मुद्रा सुविधाओं में कुछ परिवर्तन नहीं होगा।
- विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों ने 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर की ऐतिहासिक उंचाई हासिल की।

अल्पना किल्लावाला द्वारा **भारतीय रिज़र्व बैंक,** प्रेस संपर्क प्रभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा **ॲल्को कॉर्पोरेशन**, शाह ॲण्ड नहार इंडस्ट्रिअल इस्टेट, लोअर परेल (प.), मुंबई - 400 013 में मुद्रित । **ग्राहक बनाने के इच्छुक कृपया ग्राहक शुल्क मुंबई में देय चेक/मांग ड्राफ्ट निदेशक, रिपोर्ट, समीक्षा और प्रकाशन विभाग (विक्री विभाग) आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, अमर बिल्डिंग, सर पी. एम. रोड, पो. बॉक्स सं. 1036, मुंबई 400 001 को भेजें । इंटरनेट www.cir.rbi.org.in /hindi पर भी उपलब्ध।**